N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0335 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/12/2025 18:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 18/12/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:08 बजे **Time To (समय तक):** 18:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/12/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/12/2025 18:40:23 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 140 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** UP TEHSIL KARYALAY, CHHANI BADI, BHADRA JILA HANUMANGARH

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KRISHNA KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMMURTI JAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JHANSAL, BHADRA, BHADRA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JHANSAL, BHADRA, BHADRA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHARAN SINGH		पिता:DARIYA SINGH	1. NINAN,BADRA,BHIRANI,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 4,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, If necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चूरू।विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय,उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै कृष्ण कुमार पुत्र श्री राममूर्ति जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी के नाम से चक 2 जे.एस.एल. में खातेदारी कृषि भूमि हैं। मेरे एक भाई व दो बहने है। मेरी दोनो बहनो श्रीमती गोमा देवी व रोशनी ने उक्त कृषि भूमि से हक त्याग मेरे, मेरे पिताजी व मेरे भाई ओम प्रकाश के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी भादरा में करवा दिया हैं। हक त्याग के बाद एसडीएम भादरा ने पत्रांक 1238 दिनांक 11.12.2025 से हक त्याग रिकॉर्ड में इन्द्राज करने बाबत तहसीलदार भादरा को लिख दिया। जिस पर मै अपने हक त्याग का म्युटेशन दर्ज करवाने हमारे पटवारी श्री चरण सिंह से कल दिनांक 11.12.2025 को उप तहसील कार्यालय छानी बडी में मिला और नामान्तरकरण दर्ज करने का कहा तो पटवारी जी चरण सिंह ने कहा कि म्युटेशन दर्ज करने के लिए मुझे खर्चा पानी देना होगा। मैने कहा कि मैने म्युटेशन के लिए सारी सरकारी फीस जमा करवा दी है तो पटवारी जी ने कहा कि यह मेरा खर्चा है। मैने कहा कि कितने देने पडेगें तो पटवारी जी श्री चरण सिंह ने कहा कि आपको साढे पांच हजार रूपये खर्चे के देने होंगे। मैने कहा कि यह तो ज्यादा है तो चरण सिंह जी ने कहा कि आप पांच हजार रूपये दे देना। तब मैने कहा कि ठीक है पहले मेरे भाई ओम प्रकाश को खर्चे के बारे में पुछना पडेगा। उसको पुछ कर मै आपके पास आता हूं। जिस पर पटवारी जी ने कहा कि पांच हजार रूपये खर्चे के लेकर कभी आ जाना आपका म्युटेशन दर्ज कर दुंगा, बगैर खर्चे के कोई म्युटेशन दर्ज नही होगा। मैने उक्त खर्चे के सम्बधं में मेरे पिताजी व मेरे भाई ओम प्रकाश से बात की तो उन्होने कहा कि अपने सही काम के लिए किसी को कोई रिश्वत नही देनी है आप पटवारी चरण सिंह को रिश्वत लेते हुऐ पकडवा दो। मै हमारे सही काम के लिए पटवारी श्री चरण सिंह को रिश्वत नही देना चाहता हूं उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं।दिनांक 12.12.2025प्रार्थी-एसडी- कृष्ण कुमार पुत्र श्री राममूर्तिजाति जाट निवासी झांसलतहसील भादरा जिला हनुमानगढमो0न0 कार्यवाही पुलिसदिनांक 12.12.2025 को वक्त 12.10 पीएम पर श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राममूर्ति जाति जाट निवासी झांसल तह0 भादरा जिला हनुमानगढ ने हाजिर चौकी होकर उक्त रिपोर्ट श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक को पेश की। श्रीमान ने रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि हमारा म्युटेशन दर्ज करने के नाम पर पटवारी चरण सिंह मेरे से पांच हजार रूपये की मांग कर रहा हैं। मेरे पिताजी, भाई ओमप्रकाश ने मेरे को कहा है कि अपने सही काम के लिए रिश्वत नही देनी है तथा पटवारी चरण सिंह को रंगे हाथ पकडवा दो। हमारी चरण सिंह पटवारी से कोई दुश्मनी नही है तथा ना ही हमारा कोई उधारी का लेन-देन बकाया हैं। परिवादी की रिपोर्ट से रिश्वत मांगने के तथ्य आये है आईन्दा सत्यापन करवाया जाकर कार्यवाही की जावेगी।परिवादी श्री कृष्ण कुमार को मांग सत्यापन करवाने के बारे में पुछा गया तो बताया कि कल और परसों की छुट्टी है दिनांक 15.12.2025 को उप तहसील कार्यालय छानी बडी में पटवारी चरण सिंह मुझे मिल सकते हैं जिससे मिलकर मांग सत्यापन करवाकर सकता हूं। इस पर परिवादी कृष्ण कुमार को कार्यालय का टेप रिकॉर्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाई गई। कानि रिपेन्द्र सिंह को तलब कर परिवादी कृष्ण कुमार व रिपेन्द्र सिंह का आपसी परिचय करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर दिये गये। परिवादी कृष्ण कुमार को हिदायत कर रूखस्त दी गई।दिनांक 15.12.2025 को वक्त 07.30 एएम पर परिवादी कृष्ण कुमार के बताये अनुसार कार्यालय के वॉईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर वॉईस रिकॉर्डर श्री रिपेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर बाद हिदायत परिवादी के पास उप तहसील कार्यालय छानी बड़ी तहसील भादरा रवाना किया गया। वक्त 8.30 पीएम पर श्री रिपेन्द्र सिंह कानि. हाजिर आया तथा वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं चूरू से रवाना होकर परिवादी कृष्ण कुमार से हुई वार्ता के अनुसार गांव निनाण बस स्टेण्ड पर पहुंचा जहां पर परिवादी मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिला। जिस पर हम दोनों उप तहसील कार्यालय छानी बड़ी के आगे पहुंचे। परिवादी कृष्ण कुमार ने अपने मोबाईल से पटवारी चरण सिंह के मोबाईल पर वार्ता की तो पटवारी चरण सिंह ने कहा कि मैं भादरा से मेरे गांव निनाण आ रहा हूं। पन्द्रह बीस मिनट बाद मेरे गांव के बस स्टेण्ड पर मिल जाना। जिस पर हम दोनों रवाना होकर निनाण बस स्टेण्ड के पास गौशाला के पास पहुंच खड़े हो गये। थोड़ी देर बाद भादरा की तरफ से एक बस आती हुई दिखाई दी जिस पर परिवादी कृष्ण कुमार ने बताया कि इसी बस में पटवारी चरण सिंह आ रहा है जिस पर मैनें वॉईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर उसकी स्वयं की मोटर साईकिल से बस स्टेण्ड निनाण की तरफ रवाना किया। मैं वहीं पर आस-पास

मुकिम हो गया। करीब पन्द्रह मिनट बाद परिवादी मोटर साईकिल पर अकेला मेरे पास आया मैनें परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी कृष्ण कुमार ने बताया कि उसी बस से पटवारी चरण सिंह उतरा था जिसको मैं मेरे साथ मोटर साईकिल पर लेकर उसके घर पर गया। घर पर जाने के बाद मैनें मेरे म्यूटेशन के कागजात पटवारी जी को दिये तो पटवारी जी ने कहा कि आपको नो-ड्यूज लाकर देना होगा तभी म्यूटेशन होगा। तब मैनें कहा कि नॉ-ड्यूज में कल ला दूंगा। मैनें पटवारी जी को कहा कि आपने पांच हजार रुपये खर्चे के बताये थे जो ज्यादा है आपको मैं तीन हजार रुपये खर्चे के दे दूंगा आप म्यूटेशन दर्ज कर दो तो पटवारी जी ने कहा कि आप चार हजार रुपये दे देना। जिस पर मैनें कहा कि कल मैं आपको नो -ड्यूज लाकर दे दूंगा और परसों दिनांक 17.12.2025 को आपको चार हजार रुपये दे दूंगा आप मेरा म्यूटेशन दर्ज करो। मेरे व पटवारी चरण सिंह के मध्य हुई वार्ता को वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है। परिवादी कृष्ण कुमार ने बताया कि कल मुझे पैसे जमा करवाकर नॉ-ड्यूज पटवारी जी को देना है। मैं कल शाम तक आपके पास चुरू पहुंच जाउंगा। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को वहीं पर छोड़कर रवाना होकर हाजिर आया हूं। रिपेन्द्र सिंह के द्वारा पेश किये गये वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। आईन्दा कर परिवादी के उपस्थित आने पर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। दिनांक 16.12.2025 को 5.55 पीएम पर परिवादी कृष्ण कुमार हाजिर कार्यालय आया व श्री रिपेन्द्र सिंह के द्वारा बताई गई बातों को दोहराते हुऐ बताया कि पटवारी जी ने कल 4,000 रूपये रिश्वत के लेकर बुलाया हैं। आज मैनें झांसल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. झांसल से नॉ-ड्यूज प्रमाण-पत्र बनवाया जो मैं साथ लेकर आया हूं, कल रुपये देने के साथ ही उक्त नॉ-ड्यूज प्रमाण-पत्र भी पटवारी जी को दे दूंगा। परिवादी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ का पर्चा डिक्री मि0न0 224/2025 का आदेश दिनांक 26.11.2025 व झांसल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. झांसल के प्रमाण-पत्र की फोटोप्रति पेश की जो शामिल की गई।वक्त 6.00 पीएम पर परिवादी व आरोपी श्री चरण सिंह पटवारी के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.12.2025 जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मय हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता का क्लॉन श्री रिपेन्द्र सिंह कानि0 152 से दो पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क A अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पैन ड्राईव को खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड के सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क A-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। वजह सबूत को श्री कृष्ण सिंह हैड कानि के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी कृष्ण कुमार को रिश्वत में दिये जाने वाले 4,000 रूपये लेकर सुबह 7 बजे कार्यालय में आने की हिदायत कर रवाना किया गया। श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक दिगर राजकार्य में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही के समस्त कागजात मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।दिनांक 17.12.2025 को वक्त 07.00 एएम परिवादी कृष्ण कुमार हाजिर कार्यालय आया व अपनी रिपोर्ट तथा फर्द मांग सत्यापन के तथ्यों की ताईद की और बताया कि झांसल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. झांसल का नो -ड्यूज प्रमाण-पत्र व रिश्वत में दिये जाने वाले 4 हजार रूपये साथ लेकर आया हूं। वक्त 7.10 एएम पर पाबंद शुदा गवाहान श्री विजय कुमार कृषि पर्यवेक्षक व श्री रामकरण सिंह राठौड़ कनिष्ठ सहायक संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय चूरू हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो गवाहान को परिवादी के द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहों का हाजिर परिवादी कृष्ण कुमार से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया।वक्त 07.30 एएम पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कृष्ण कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले चार हजार रूपये (पांच-पांच सौ के आठ नोट) भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- 1. एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 3SG 368206, 2. एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 9FA 885270, 3. एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 2MW 345149, 4. एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 3LS 731446, 5. एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 4GR 051985, 6. एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 9GR 403459, 7. एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 2CE 980005, 8. एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 2SF 079568उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री राजकुमार कानि 223 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री कृष्ण कुमार की जामा तलाशी गवाह विजय कुमार से लिवायी गई तो कोई आपतिजनक वस्तु नहीं पाई गई। रिश्वती राशि चार हजार रूपये परिवादी श्री कृष्ण कुमार के पहनी शर्ट की उपरी बांयी जेब में श्री राजकुमार कानि 223 से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल से मिस कॉल कर ईशारा करे। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन व इस बीच होने वाली वार्ता को क्रमशः देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री राजकुमार कानि 223 के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर

धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीगण व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व डिस्पोजल गिलास तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। श्री राजकुमार कानि 223 के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी सुरक्षित रखवाई गई। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय के वॉईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर हमराह लिया गया जो आईन्दा परिवादी को सुपुर्द किया जावेगा। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी के पास उसका मोबाईल पास रहने दिया। कार्यालय झांसल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 झासल तहसील भादरा का प्रमाण-पत्र क्रमांक 230 दिनांक 16.12.2025 जो नो-डयूज है। उक्त नो-डयूज को आरोपी पटवारी को देने के लिए परिवादी के पास रहने दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।वक्त 08.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी कृष्ण कुमार मय स्वतन्त्र गवाह श्री विजय कुमार, श्री रामकरण सिंह राठौड़ तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह उप निरीक्षक, राजपाल सिंह, आबिद खान व कृष्ण सिंह हैड कानिगण व श्रीवण कुमार, रिपेन्द्र सिंह, बसन्त सिंह, कानिगण के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर प्राईवेट वाहन मय चालक चंगेज खान के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना छानी बडी तह0 भादरा जिला हनुमानगढ के लिए हुआ। श्री राजकुमार कानि को बाद आवष्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।वक्त 11.30 एएम पर मैं पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के छानी बडी में उप तहसील कार्यालय से पहले आदमपुर जाने वाले मैन रोड पर पंहुचा। परिवादी कृष्ण कुमार को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर उप तहसील कार्यालय के लिए आरोपी चरण सिंह पटवारी से सम्पर्क करने रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे आबिद खान हैडकानि0 व रिपेन्द्र सिंह कानि. को रवाना किया गया। मैं पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहान व दीगर जाप्ते के उप तहसील कार्यालय के आसपास ही मैन रोड पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। करीब आधा घण्टे बाद परिवादी कृष्ण कुमार बिना ईशारा किये ही उप तहसील कार्यालय से बाहर आदमपुर जाने वाले मैन रोड पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया तथा उसके पीछे-पीछे आबिद खान हैडकानि0 व रिपेन्द्र सिंह कानि. भी आ गये। परिवादी कृष्ण कुमार ने वॉईस रिकॉर्डर मन् पु0नि0 को सुपुर्द कर बताया कि उप तहसील कार्यालय में जाकर पटवारी चरण सिंह के बारे में मालुमात किया तो पटवारी जी कार्यालय में नही थे। मालुमात किया गया तो ग्राम पंचायत छानी बडी में आज कैम्प होने के कारण कैम्प में जाना मालुमात हुआ। परिवादी ने बताया कि पटवारी जी नही मिले तो मैने वॉईस रिकॉर्डर चालु नही किया। जिस पर ग्राम पंचायत छानी बडी में कैम्प के बारे में मालुमात किया गया तो पता चला कि आज पंचायत में कैम्प है तथा पटवारी चरण सिंह कैम्प में है पंचायत भवन में काफी ग्रामीण इकठा हैं जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से परिवादी को आरोपी के पास नही भेजा गया। मन् पु0नि0 मय परिवादी व गवाहान तथा जाप्ते के आदमपुर रोड पर गोपनीय रूप से मुकीम हुआ।वक्त 4.15 पीएम पर ग्राम पंचायत में कैम्प के बारे में मालुमात किया गया तो पता चला कि अभी तक पंचायत भवन में काफी ग्रामीण इकठा हैं जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से परिवादी को आरोपी के पास भेजा जाना उचित नही हैं। परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी कल उप तहसील कार्यालय में मिल जायेगा तो उससे मिलकर मै मेरे काम के बारे में बात कर लुंगा तथा रिश्वत राशि दे दुंगा। जिस पर परिवादी कृष्ण कुमार की जेब में रखी रिश्वत राषि 4,000 रूपये श्री कृष्ण सिंह हैड कानि से निकलवाया जाकर कागज के लिफाफे में डालकर सुरक्षित रखे गये। जीएसएस झांसल का नो-डयुज प्रमाण-पत्र परिवादी के पास ही रहने दिया जाकर परिवादी को निर्देश दिया कि कल सुबह 11 बजे छानी बडी में मिलने की हिदायत कर रूकसत दी जाकर मय पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहन व ट्रेपदल के रवाना होकर वक्त 8.30 पीएम पर चूरू चौकी पंहुचा। लिफाफे में बन्द रिश्वती राशि सुरक्षित रखी गई। दोनों गवाहन को गोपनीयता रखने की हिदायत कर रूकसत दी गई। कार्यालय स्टाफ को भी गोपनीयता रखने बाबत निर्देषित किया गया।दिनांक 18.12.2025 को वक्त 9.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी कृष्ण कुमार मय स्वतन्त्र गवाह श्री विजय कुमार, श्री रामकरण सिंह राठौड़ तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह उप निरीक्षक, राजपाल सिंह, आबिद खान व कृष्ण सिंह हैड कानिगण व श्रवण कुमार, रिपेन्द्र सिंह, बसन्त सिंह, कानिगण के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर, रिश्वती राशि 4,000 रूपये के लिफाफे सहित प्राईवेट वाहन मय चालक चंगेज खान तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक सुरेन्द्र सिंह के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना छानी बडी तह0 भादरा जिला हनुमानगढ के लिए हुआ। श्री राजकुमार कानि को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया। वक्त 12.55 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहनों के छानी बडी गांव से पहले मैन रोड पर पंहुचा जहां पर परिवादी श्री कृष्ण कुमार अपनी मोटर साईकिल सहित उपस्थित मिला और बताया कि जीएसएस झांसल का नो-डयुज साथ लेकर आया हूं। जिस पर श्री कृष्ण कुमार हैड कानि से गवाहान के सामने रिश्वती राशि के नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया जाकर रिश्वती राशि 4,000 रूपये परिवादी कृष्ण कुमार के कमीज की उपरी बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी कृष्ण कुमार को आरोपी से सम्पर्क करने के लिए उप तहसील कार्यालय की तरफ उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया तथा परिवादी

के पीछे-पीछे श्री बसन्त सिंह, रिपेन्द्र सिंह कानि को रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ उप तहसील कार्यालय के पास आदमपुर जाने वाले रोड के आस-पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।वक्त 1.08 पीएम पर परिवादी श्री कृष्ण कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने मोबाईल से मिस कॉल का करने पर मैं पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहान मय ट्रेप दल सदस्यो के उप तहसील कार्यालय छानी बडी के सामने पंहुचा। उप तहसील कार्यालय के दक्षिण दिशा में अर्जीनवीस/नोटेरी आदि के बैठने हेतु बनाये गये टिन शैड के पास गेट पर परिवादी कृष्ण कुमार खडा मिला। परिवादी ने वॉइस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसको बंद किया गया। परिवादी ने बताया कि पटवारी जी श्री चरण सिंह मुझे अजीनवीस के बने टिन शैड में मिला और मुझे देखकर मुझे एक खाली टिन शैड जिसमें बाईक खडी थी में लेकर चला गया। मैने पटवारी जी को नो-डयूज प्रमाण-पत्र व रिश्वती राशि दी व कहा कि म्युटेशन कब तक दर्ज कर दोगे तो पटवारी जी ने कहा कि सोमवार मंगलवार तक दर्ज कर दूंगा। मैने कहा कि रूपये गिन लो तो पटवारी जी ने कहा कि आपने दिये है तो कम थोडी दिये हैं। पटवारी जी ने रूपये अपने दाहीने हाथ में लेकर पहनी पेंट की पीछे की दाहीनी जेब में रख लिये तथा नो-डयूज प्रमाण-पत्र अपनी पहनी शर्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिया। मै आपको ईशारा करने के लिए बाहर गेट की तरफ आया तो पटवारी जी उप तहसील कार्यालय में बने पटवारियों के कमरे की तरफ चला गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को साथ लेकर उप तहसील कार्यालय के पीछे की तरफ बने कार्यालय के एक कमरे में चस्मा लगाये हुऐ कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही पटवारी जी चरण सिंह हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व गवाहान का परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व पुछने पर अपना नाम श्री चरण सिंह राजस्व पटवारी, पटवार हल्का झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ होना बताया। इस पर श्री चरण सिंह पटवारी को परिवादी कृष्ण कुमार से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो पटवारी चरण सिंह ने कहा कि मैने कृष्ण कुमार से कोई पैसे नही लिये है। अर्जी निवेश बैठते हैं वहां यह अभी मेरे पास आया था। इसने मुझे नो-डयूज प्रमाण पत्र दिया व म्यूटेशन के सम्बधं में कहा तो मैने कहा कि कर दुंगा। मैने कृष्ण कुमार से कोई पैसे नही लिये हैं। इस पर हाजिर परिवादी कृष्ण कुमार ने स्वतः ही बताया कि चरण सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। मेरे पिताजी के नाम से चक 2 जे.एस.एल. में खातेदारी कृषि भूमि हैं। मेरे एक भाई व दो बहने है। मेरी दोनो बहनो ने उक्त कृषि भूमि का हक त्याग मेरे, मेरे पिताजी व मेरे भाई के पक्ष में किया था। जिसका उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा आदेश दिया गया हैं। उक्त आदेश पर तहसीलदार भादरा द्वारा पटवारी झांसल के नाम पालना करने के लिए भेजा था। जिस पर मै पटवारी चरण सिंह से मिला व उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार भादरा के आदेश इनको दिये थे। उक्त आदेशों पर म्युटेशन दर्ज करने के लिए पटवारी चरण सिंह ने मेरे से दिनांक 15.12.2025 को पांच हजार रूपये रिश्वत के मांगे थे बाद में चार हजार रूपये पर तय कर कहा कि जीएसएस झांसल से नो-डयुज प्रमाण पत्र ला देना, तब म्युटेशन दर्ज कर दुंगा। आज मैने पटवारी जी को जीएसएस झांसल द्वारा दिनांक 16.12.2025 को जारी नो-डयुट प्रमाण-पत्र दिया व पटवारी जी के कहने पर मैने अपनी जेब से चार हजार रूपये निकाल कर इनको दिये तो पटवारी जी चरण सिंह ने नो-डयुज प्रमाण-पत्र व चार हजार रूपये लेकर अपनी जेब में रख लिया व कहा कि सोमवार, मंगलवार तक म्युटेशन दर्ज कर दुंगा। यह चार हजार रूपये मैने पटवारी चरण सिंह द्वारा म्युटेशन दर्ज करने के मांगने पर पर इनको आज रिश्वत के दिये हैं। आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी चरण सिंह का दायां व बांया हाथ क्रमशः श्रवणकुमार व बसन्त सिंह ने कलाईयों से पकड लिये। श्री चरण सिंह राजस्व पटवारी झांसल को रिश्वत लेने का अपराध करने पर गिरफतारी करने के सम्बधं में अवगत कराया गया। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो साफ डिस्पॉजल गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चमड्ड सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री चरण सिंह पटवारी के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग बहुत हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क R1 R2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी चरण सिंह पटवारी के बायें हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क L1 L2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर गवाह विजय कुमार ने आरोपी श्री चरण सिंह पटवारी जामा तलाशी ली तो आरोपी के पहनी पेंट जींस के पीछे की दाहीनी जेब में एक पर्श व पांच-पांच सौ रूपये के नोट मिले। उक्त राशि को गवाह विजय कुमार द्वारा गिनकर चार हजार रूपये होना बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द प पेशकशी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित कर 4,000 रूपये के नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी चरण सिंह पटवारी के लिए एक लोवर की व्यवस्था करवाकर पहनी हुई पेंट जीन्स बरंग नीला को उतरवा कर पेंट की पीछे की दाहिनी जेब को उल्टवा कर सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशियों में आधा-आधा

डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क P1 P2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। आरोपी चरण सिंह की उक्त पेंट जीन्स बरंग नीला की जेब को सुखाकर उक्त पेंट को धागे मे सील्ड कर चिट चस्पा कर मार्क P अंकित किया जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेंट पैकेट को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। श्री चरण सिंह पटवारी ने पूछने पर बताया कि झांसल गांव के कृष्ण कुमार ने मुझे उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार भादरा द्वारा जारी आदेश की प्रतियां दिनांक 15.12.2025 को दिया व कृषि भूमि के हक त्याग का म्यूटेशन दर्ज करने के लिए कहा था। उक्त दोनों आदेशों की मूल प्रतियां आरोपी चरण सिंह द्वारा कुर्सी पर रखी जैकेट की जेब से निकाल कर पेश किये उक्त दोनो पत्रों का अवलोकन किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा दिनांक 26.11.2025 को पर्चा डिक्री किया गया एंवम पत्र संख्या 1238 दिनांक 11.12.2025 तहसीलदार राजस्व भादरा को लिखा जाकर डिक्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर पालना हेतु आदेश दिये गये है। उक्त मूल पत्र पर ही तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पटवारी हल्का झांसल को पालना कर रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश दिये गये है। पटवारी चरण सिंह ने अपनी शर्ट की जेब से ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 झांसल तहसील भादरा द्वारा जारी नो-ड्युज प्रमाण-पत्र क्रमांक 230 दिनांक 16.12.2025 का पेश कर बताया कि यह प्रमाण-पत्र अभी मुझे कृष्ण कुमार ने म्युटेशन दर्ज करवाने के लिए मेरे द्वारा मांगने पर दिया था। आरोपी ने यह भी बताया कि उक्त आदेशों की पालना में मेरे द्वारा अभी तक कृष्ण कुमार, उसके भाई व पिता के नाम नामान्तरणकरण दर्ज नही किया हैं। पटवारी चरण सिंह ने पुछने पर बताया कि म्युटेशन के लिए आवेदक को ऑन लाईन आवेदन करना होता हैं। परन्तु मैने आवेदक श्री कृष्ण कुमार को ऑन लाईन आवेदन के लिए नही कहा था। मैने कृष्ण कुमार को सोमवार-मंगलवार तक म्युटेशन दर्ज करने के लिए इसलिए कहा कि मेरे पास कृष्ण कुमार के मोबाईल नम्बर थे यह नम्बर मै तहसील परिसर में बने ई-मित्र वाले को देकर मै खुद ही कृष्ण कुमार से ओटीपी पुछ कर ऑन लाईन आवेदन कर देता। वर्ष 2021 के बाद नामान्तरकरण ऑन लाईन ही दर्ज किये जा रहे हैं, ऑफ लाईन दर्ज करने की आवश्यकता नही हैं। म्युटेशन दर्ज करने का कोई रजिस्टर भी संधारित नही किया जा रहा हैं। नो-ड्युज प्रमाण-पत्र व एसडीएम तथा तहसीलदार भादरा द्वारा जारी आदेशों को जप्त कर इनकी प्रमाणित फोटो प्रति उप तहसील कार्यालय के श्री रमनदीप कनिष्ठ सहायक को दी जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये। ट्रेप कार्यवाही में हाथ धुलवाई, रिश्वत बरामदगी एवं आरोपी से पुछताछ एवं परिवादी द्वारा तथ्यों की सरकारी मोबाईल से विडियोंग्राफी की गई। उक्त विडियोंग्राफी मोबाईल में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सेव है। रिकॉर्ड विडियोंग्राफी का क्लॉन श्री रिपेन्द्र सिंह कानि0 152 से एक पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क M अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की गई।ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर-29 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री चरण सिंह राजस्व पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने के आरोप में बाद आगाहा तमाम वाक्यात हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। परिवादी व आरोपी चरण सिंह के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये लैपटॉप सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता का क्लॉन श्री रिपेन्द्र सिंह कानि0 152 से दो पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क B अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पैन ड्राईव को खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड के सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क B-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के दौरान वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नं. 29 को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया।वक्त 6.30 पीएम पर ट्रेप दल सदस्य आबिद खान, कृष्ण सिंह हैडकानिगण, श्रवण कुमार, रिपेन्द्र सिंह को ट्रेप कार्यवाही में जप्त समस्त वजह सबूत सुपुर्द कर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक चूरू चौकी पंहुचने के निर्देश देकर रवाना किया। परिवादी श्री कृष्ण कुमार को छानी बडी में ही रूखस्त दी जाकर गिरफतार मुल्जिम चरण सिंह को आईन्दा माननीय न्यायालय श्रीगंगानगर में पेश किये जाने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री गिरधारी सिंह उ.नि., राजपाल सिंह हैड कानि, बसन्त सिंह कानि मय मुल्जिम चरण सिंह के जरिये सरकारी वाहन मय चालक सुरेन्द्र सिंह के रवाना होकर हनुमानगढ जंक्शन पंहुचा। उक्त ट्रेप में समय-समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री कृष्ण कुमार के पिता राममूर्ति के नाम से चक 2 जेएसएल में खातेदारी कृषि भूमि हैं, जिसमें परिवादी की दो बहनों का हिस्सा था। परिवादी की दोनो बहनों द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि का अपने दो भाईयों व पिता के नाम हक त्याग करने पर उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.11.25 से परिवादी, उसके भाई व पिता के नाम हक त्याग की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने की डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश पर तहसीलदार भादरा द्वारा पटवारी झांसल को रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेशों की प्रतियां परिवादी ने झांसल पटवारी चरण सिंह को दी व नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु कहा तो चरण सिंह पटवारी झांसल द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ अपने वैद्य

प्रारिश्रमिक से भिन्न चार हजार रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुसरण में दिनांक 18.12.2025 को परिवादी कृष्ण कुमार से चार हजार रूपये रिश्वत के उप तहसील छानी बडी में प्राप्त किये। जिस पर श्री चरण सिंह पटवारी झांसल को रंगे हाथों पकड़ा जाकर रिश्वती राशि आरोपी के कब्जे से बरामद की गई। श्री चरण सिंह राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।अतः श्री चरण सिंह राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित की जा रही है।भवदीय (महेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू.............कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री चरण सिंह पुत्र श्री दरिया सिंह, जाति जाट, निवासी नीनाण, पुलिस थाना भिरानी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ, हाल राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल झांसल, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी सुधा पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 304 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1895-98 दिनांक 19.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- जिला कलक्टर हनुमानगढ 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SUDHA PALAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्रायमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date 1[illegible]2/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)